सीबीएसई/सीई/2021 दिनांक: 23.10.2021

सीबीएसई से संबद्ध विद्यालयों के
सभी प्रधानाचार्य/संस्था प्रमुख
(सीबीएसई वेबसाइट के माध्यम से)

विषय: परीक्षा कार्य के भुगतान हेतु एकीकृत भुगतान प्रणाली (आईपीएस) के संबंध में

महोदया/महोदय,

आप जानते है कि सीबीएसई द्वारा स्कूलों के स्टाफ को परीक्षाओं के संचालन एवं अन्य संबंधित कार्यों के लिए अनेक जिम्मेदारियां दी जा रही हैं।

पहले सीबीएसई को हितधारकों द्वारा उनके दावों के बिल भुगतान हेतु भरकर दिए जाते थे। सीबीएसई ने अब ऑनलाइन और ऑटोमेटेड मोड में हितधारकों को भुगतान करने हेतु एकीकृत भुगतान प्रणाली विकसित की है। आईपीएस से लाभार्थी के खाते में सीधे विभिन्न भुगतान करने की सुविधा मिलेगी। सीबीएसई में एकीकृत भुगतान प्रणाली के विकास एवं कार्यान्वयन के संबंध में विस्तृत सूचना के लिए प्रेस प्रकाशनी (प्रति संलग्न) देखी जा सकती है। यह सीबीएसई का अपने हितधारकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए उठाया गया एक और कदम है।

सभी स्कूलों से अनुरोध है कि वे भविष्य में एकीकृत भुगतान प्रणाली का उपयोग करें जिसके लिए सीबीएसई आवश्यकता के अनुसार समय समय पर अपेक्षित मॉड्यूल प्रदान करेगा। इस तिथि तक, सभी स्कूलों को भुगतान निर्गत करने के लिए आईपीएस पोर्टल पर परिणाम समिति सदस्यों का विवरण देने का अनुरोध किया जाता है। इसके बाद परिणाम समिति सदस्य के खाते में भुगतान (अंतरित) किया जाएगा। अनुदेश इसके साथ संलग्न हैं।

समनुदेशित जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निष्पादित और पूर्ण करने के लिए सीबीएसई सभी समिति सदस्यों को पुन: धन्यवाद देता है।

एकीकृत भुगतान प्रणाली का लिंक https://saras.cbse.gov.in/aips/landing.aspx है।

हस्ताक्षरित

(डॉ संयम भारद्वाज)
परीक्षा नियंत्रक

एकीकृत भुगतान प्रणाली (आईपीएस)

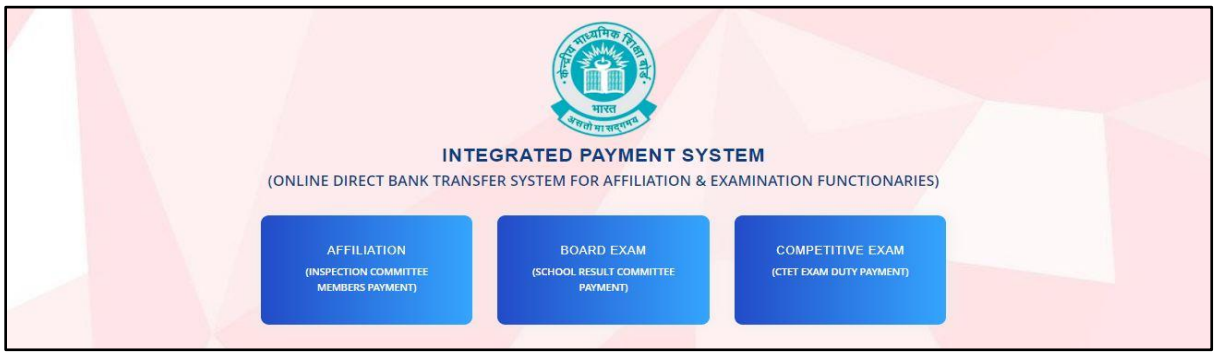

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) एकीकृत भुगतान प्रणाली (आईपीएस) के माध्यम से विभिन्न भुगतानों के प्रबंधन और संवितरण के लिए एक विश्वसनीय भुगतान तंत्र विकसित करके महामारी से उभरी दुनिया में भुगतान से संबंधित डिजिटल शासन के लिए विधि/ढंग तय कर रहा है। नई विकसित प्रणाली के कारण पहले की मैनुअल और समय लेने वाली प्रणाली डिजिटल रूप से कुशल प्रणाली में परिवर्तित हो गई है जो मानवीय त्रुटि से रहित है।

आईपीएस के विकास और कार्यान्वयन से पहले, विभिन्न पदाधिकारियों को किए गए भुगतान की प्रणाली मैनुअल होने के कारण एक लंबी और समय लेने वाली प्रक्रिया से गुजरना होता था। राष्ट्रीय शिक्षा निकाय होने के नाते, बोर्ड के पास सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों और सीटीईटी, भर्ती परीक्षा आदि जैसी विभिन्न अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सार्वजनिक परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी है।

ऐसी परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए प्रधानाचार्यों और शिक्षकों सहित करीब 10 लाख संकाय सदस्य अपनी सेवाएं देते हैं। इसी तरह, संबद्धता/उन्नयन के लिए स्कूलों के निरीक्षण के लिए लगभग 10,000 प्रधानाचार्यों/शैक्षिक प्रशासकों की भी नियुक्ति की जाती है। परीक्षा या संबद्धता से संबंधित कार्यों में शामिल सभी पदाधिकारियों को उनकी सेवाओं के लिए मानदेय और टीए/डीए का भुगतान किया जाता था, जब वे संबंधित प्राधिकारी को मैनुअल रूप से बिल प्रस्तुत करते थे। पहले भुगतान प्रक्रिया को पूरा होने में लगभग 6 महीने लगते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि इसकी प्रक्रिया कार्मिकों द्वारा अनेक मैनुअल जाँचों से होकर गुजरती थी। परीक्षा ड्यूटी के लिए, इस तरह की जांच के बाद, सीबीएसई केंद्र अधीक्षकों को धनराशि वितरित करता था, जो आगे विभिन्न पदाधिकारियों को भुगतान करते थे।

संबद्धता ड्यूटी के लिए, सीबीएसई इस तरह की मैनुअल जांच के बाद प्रधानाचार्यों/शैक्षिक प्रशासकों को भुगतान करता था। इस कारण से कई कदम उठाए गए और भुगतान प्रणाली में बड़ी संख्या में व्यक्तियों को शामिल किया गया।

एकीकृत भुगतान प्रणाली (आईपीएस) के माध्यम से एक निर्देशात्मक/ मानक भुगतान प्रणाली से स्वचालित गणना हो सकती है जिसमें मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। निरीक्षण ड्यूटी के मामले में निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने और परीक्षा ड्यूटी के मामले में ड्यूटी संकलन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने या ऐसे अन्य सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद, आईपीएस संबंधित प्राप्तकर्ता को सीधे बैंक में मानदेय और टीए/डीए के अंतरण की सुविधा देता है। इसे बैंक भुगतान गेटवे के साथ सॉफ्टवेयर एकीकरण के माध्यम से हासिल किया गया है। यह प्रणाली स्व-घोषणा/प्रमाणन पर निर्भर है और इस तरह का लेनदेन करने में सुगमता आई है| आईपीएस के माध्यम से स्वचालित मान्यकरण जांच भी की जा सकती है जो न केवल भुगतान प्रक्रिया को पूरा करने में लगने वाले समय को कम करता है, बल्कि फर्जी लेनदेन और अवास्तविक संवितरण की संभावना को भी कम करता है।

नव विकसित आईपीएस की विशेषताएं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) और ईज ऑफ लिविंग (ईओएल) के सिद्धांतों के अनुरूप हैं, और यह संबद्धता निरीक्षण भुगतान, बोर्ड और सीटीईटी परीक्षा शुल्क भुगतान के लिए सफलतापूर्वक लागू किया गया है।

डॉ अंतरिक्ष जौहरी
निदेशक (आईटी और परियोजना)